

दवियांगजन अधकार अधनियम, 2016

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [दवियांगजन अधकार अधनियम, 2016](#) के कार्यान्वयन में अपेक्षित नयम बनाने में कुछ राज्यों की वफिलता पर नाराज़गी व्यक्त की।

मुख्य बदि:

- अधनियम के अनुसार, **राज्य की नयम-नरिमाण शक्तयिों** में दवियांगता पर अनुसंधान के लयि एक समति का गठन, ज़िला स्तरीय समतियिों का गठन और राज्य आयुक्त की सेवाओं के **वेतन**, भततों एवं अन्य शर्तों को नरिधारति करना तथा दवियांगजनों के लयि धन का सृजन शामिल है।
- शीर्ष न्यायालय ने पाया कि उसने अधनियम के उचति कार्यान्वयन के लयि कई आदेश पारति कयि हैं लेकनि कई राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों ने अभी तक अपने दायतियों को पूरा नहीं कयि है।
- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे **राज्यों तथा केंद्रशासति प्रदेशों** ने **राज्य आयुक्तों की नयुक्ति नहीं की है**।
- जबकि गुजरात, हमिचल प्रदेश, केरल, मज़ोरम, पश्चिम बंगाल, दलिली, दमन एवं दीव, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख **ने अभी तक नरिधारति धनराशा का गठन नहीं कयि है**।

दवियांगजन अधकार अधनियम, 2016

- यह अधनियम **दवियांगजनों के अधकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD)** को प्रभावी बनाने के लयि **भारत की संसद** द्वारा पारति कयि गया था, जसि भारत ने वर्ष 2007 में अनुमोदति कयि था।
- यह अधनियम पहले के **नरिधकत व्यक्तता (समान अवसर, अधकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधनियम, 1995** का स्थान लेता है, जसि भारत में दवियांगजनों की ज़रूरतों और चुनौतियिों को संबोधति करने में अपर्याप्त तथा पुराना माना जाता था।
- अधनियम द्वारा शुरु कयि गए प्रमुख परिवर्तनों में से एक दवियांगता की परिभाषा और वर्गीकरण का वसितार है।
- **अधनियम 21 प्रकार की दवियांगताओं को मान्यता देता है**, जबकि पिछले कानून के तहत यह 7 प्रकार की थी। ये हैं:
 - अंध और दृष्टि-बाधति, कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तता,
 - श्रवणविकार/दोष, चलन-संबंधी दवियांगता, बौनापन
 - बौद्धिक दवियांगता, मानसकि रुग्णता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार,
 - सेरेब्रल पालसी, मस्क्युलर डिसिट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थतियिों,
 - स्पेसफिक लर्निंग डिसिबिलिटी, मल्टीपल स्केलेरोसिस, वाक् एवं भाषा दवियांगता,
 - थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सकिल सेल रोग,
 - श्रवण विकार/दोष, तेजाब हमले से प्रभावति और पार्कन्संस रोग सहति कई दवियांगताएँ।
- यह केंद्र सरकार को नरिदष्टि दवियांगता की कसिी अन्य श्रेणी को अधसूचति करने का अधकार देता है।
- यह दवियांग व्यक्तता को ऐसे व्यक्तता के रूप में परिभाषति करता है जसिके पास दीर्घकालिक शारीरिक, मानसकि, बौद्धिक या संवेदी हानि है, जो बाधाओं के कारण, उन्हें दूसरों के साथ समान समाज में पूरी तरह और प्रभावी ढंग से भाग लेने से रोकती है।
- यह **बेंचमार्क दवियांगता** वाले व्यक्तता को ऐसे व्यक्तता के रूप में परिभाषति करता है, जसिमें नरिदष्टि दवियांगता 40% से कम नहीं है, जहाँ नरिदष्टि दवियांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषति नहीं कयि गया है और इसमें दवियांगता वाला व्यक्तता भी शामिल है, जहाँ नरिदष्टि दवियांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषति कयि गया है, जैसे- प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणति।
- इसके अनुसार दवियांग व्यक्ततियिों को सहायता की उच्च आवश्यकता होती है और उन्हें अपनी दैनिक गतिविधियिों के लयि दूसरों से सहायता की आवश्यकता होती है।

